न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) मध्य प्रदेश

मेसर्स आलमचंद – फर्म संचालक एवं भागीदार

1– संजय कुमार जानवानी पिता श्री ऊधाराम जानवानी

2– उत्तम चंद जानवानी पिता श्री ऊधाराम जानवानी

R 5061-III/16

दोनो निवासी भैसा खाना चौक सतना, तहसील राघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र)
————————————————————— **पुनरीक्षणकर्तागण**

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा नजूल तहसीलदार महोदय सतना (म0प्र0) —— **गैर पुनरीक्षणकर्ता**

पुनरीक्षण विरुद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा के द्वितीय अपील प्रकरण क0–352/अपील/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 02–01–2016

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0

श्री... द्वारा आज दिनांक 1-1-2-16 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1– यह कि पुन0कर्तागण आपस मे सगे भाई है जो भैसा खाना चौक सतना मे मेसर्स आलमचंद के नाम से एक फर्म बनाकर ब्यवसाय करते है पुन0कर्ता क0–1 फर्म का संचालक है व पुन0कर्ता क0–2 उस फर्म मे बराबर का भागीदार है। भूमि ख0क0–458/10 रकबा 0.17ए0 स्थित मौजा सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना पुन0 कर्तागण की भूमि है जिसे उनके पिता ऊधाराम जानवानी व उनके भाइयो ने सयुक्त परिवार मे रहते हुए पूर्व भूमिस्वामी श्री दरियानामल वगैरह से मुवलिग 6800/–रु0 मे दिनांक 11–01–79 को कय किया था। कय करने के बाद उक्त भूमि पर पुन0कर्तागण के पिता माकान निर्माण करते हुए निवास करने लगे, उसी भवन पर एक फर्म मेसर्स आलमचंद का संचालन अर्सा पूर्व समय से पुन0कर्तागण किये हुए है। उक्त कय शुदा भूमि के सम्बन्ध मे पुन0कर्तागण के पिता व उनके भाइयों के मध्य एक ब्यवहार वाद चला था जिसमे बाद मे राजीनामा हो गया था व स्थायी लोक अदालत माननीय द्वितीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5061–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–4–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 352/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 2–1–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमों एवं प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार नजूल द्वारा शासकीय भूखण्ड कमांक 2/2 नजूलशीट क. 42 पर भूखण्ड कमांक 199 अंश रकवा 30X50=1500 वर्गफीट पर आवेदक का अवैधानिक रूप से अतिकमण पाते हुये बेदखल करने के आदेश दिये जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में जिनमें हस्तक्षेप का प्रथमदृष्टया कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	